बलिकाओं का शिक्षा में सहभागिता एवं महिला सशक्तिकरण गाँव के संदर्भ में

पल्लवी

शोधार्थी, शिक्षा संकाय, बी0 आर0 ए0 बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर

डॉ० मौसमी चौधरी

शोध निदेशक,विभागाध्यक्ष,शिक्षा विभाग, एम० डी० डी० एम० महाविद्यालय,मुजफ्फरपुर

सार

बिहार राज्य शिक्षा के क्षेत्र में भारत के निचले स्तर पर आने वाले राज्यों में आता है । बिहार राज्य केजलिों में शिक्षा का स्तर पटना जिला में सबसे ज्यादा अच्छा है । बिहार सरकार के महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में ठोस कदम के अंतर्गत बालिकाओं में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए साइकिल योजना, पोशाक योजना आदि को तो बढ़ावा दिया ही गया, साथ-ही पंचायतपबीं ीिंद में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देकर, महिला सशक्तिकरण की दिशा में क्रांतिकारी शुरूआत की है। वर्ष 2011 तथा 2021 की जनगणना से स्पष्ट है कि बिहार के पटना जिला के शैक्षिक स्तर अन्य जिलों के मुकाबले अच्छा है, साथ-ही इस जिला में महिलाओं का शैक्षणिक स्तर तथा शैक्षणिक स्तर तथा राजनैतिक स्तर पर सशक्तिकरण का अध्ययन करना ही मेरा उद्देश्य है।

मुख्य शब्द : शैक्षणिक-स्तर, राजनैतिक स्तर, सशक्तीकरण ।

भारत के संविधान के अंतर्गत सभी धर्मों, जातियों, लिंगों को उनके विकास के लिए समान अवसर प्रदान किया जाएगा । भारतीय जनगणना से स्पष्ट है कि भारत में महिला शिक्षा की स्थिति दयनीय रही है। भारत में केरल राज्य में शिक्षा का स्तर उच्च है तो बिहार, राजस्थान आदि में निम्न स्तर रहा है । बिहार सरकार ने महिलाओं के शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए साइकिल योजना, पोशाक योजना शुरू की तो वहीं महिलाओं को राजनीति में भागीदारी बढ़ाने के लिए वर्ष 2006 में पंचायती राज अधिानियम में संशोधन कर पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत स्थान आरक्षित करके, 21वीं सदी के प्रथम दशक में महिलाओं की भागीदारी 50 प्रतिशत करके, बिहार में महिला सशक्तीकरण तथा स्त्री शिक्षा की दिशा में एक क्रांतिकारी शुरुआत की है । यह निम्नांकित आँकड़ों से स्पष्ट होता है :-

2001 पंचायत चुनाव विजयी महिला अधयक्ष

पंचायती राज संस्था का स्तर	निर्वाचित पद	विजयी महिला उम्मीदवारों की सं0
ग्राम पंचायत	मुखिया	78
पंचायत समिति	प्रखण्ड प्रमुख	54
जिला परिषद्	**अध्यक्ष**	**92006**

पंचायत चुनाव विजयी महिला अध्यक्ष

पंचायती राज संस्था का स्तर	निर्वाचित पद	विजयी महिला उम्मीदवारों की सं0
ग्राम पंचायत	मुखिया	4435
पंचायत समिति	प्रखण्ड प्रमुख	292
जिला परिषद्	अध्यक्ष	19

2021 में पंचायत चुनाव में 8,072 मुखिया पदों के लिए 11 चरणों में चुनाव हुए, जिनमें 3,585 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित थीं। अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 90 सीट और पिछड़ा वर्ग के लिए 1,357 सीटें आरक्षित थी। राज्य में बालिका शिक्षा में परिवर्तित हो जाती है जो कालांतर में परिवर्तित हो जाती है, बढ़ने का असर महिला जागरूकता एवं सशक्तीकरण के रूप में दिख रहा है। राज्य में वर्ष-2021 में पंचायत चुनाव के सातवें चरण में एक बार फिर महिलाएँ मतदान में पुरुषों से आगे रहीं । राज्य के 37 जिलों के 63 प्रखंडों में मतदान कराया गया। जिसमें 62.14 प्रतिशत कुल मतदान हुआ जिसमें महिलाओं का प्रतिशत 65.58 तथा पुरुषों का प्रतिशत 58. 70 रहा। अनेकों श्रोतों के रिपोर्ट से यह जानकारी मिल रही है कि पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं की भागदारी से उस

समुदाय का समाज के प्रति जवावदेही और कल्याणकारी नीतियों के लागू करने में मदद मिली है ।

उपरोक्त ग्राफ देखकर स्पष्ट होता है कि 2001 में पंचायतों में 50 प्रतिशत का आरक्षण नहीं मिलने पर विजयी महिला अध्यक्षों का जो प्रतिशत है। वर्ष 2006 पंचायती राज अधिनियम के तहत 50 प्रतिशत आरक्षण के बाद विजयी महिला के प्रतिशत में स्पष्त बदलाव दिख रहा है। इस वैधानिक प्रावधान का वर्त्तमान स्त्री शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है। वर्त्तमान अध्ययन का यही उद्देश्य है।

संबंधित संदर्भ ग्रंथः

आर0 सी0 चंदना की पुस्तक "A Geography of Population : Concepts, Determinants and Pattern" ने इस विषय के तरु मेरा ध्यान दिलाया । जिसमें भारत को विश्व के अन्य देशों की तुलना में शिक्षा का स्तर एवं महिलाओं का शिक्षा में सर्वाधिाक कम प्रतिशत का भारत में होना तथा भारत के बिहार राज्य के लोगों का लगातार गिरता आँकड़ा जो आजादी के बाद अन्य राज्यों के समतुल्य था, वह पिछड़ने लगा। इस बात की चर्चा न केवल जनगणना से पता चलता है, बल्कि प्रतियोगिता दर्पण, योजना मंथन आदि सम-सामयिक किताबों में इस बात का विशद् चर्चा की गई थी।

"The Hindu" अखबार ने भी बताया कि बिहार में बालिकाओं को शिक्षित करना एक चुनौती है । रोहित कुमार ने अपने आख्यान में महिला शिक्षा बिहार में नीति, विधि और उसका समय पर प्रभाव पर बात की । महिला शिक्षा का भविष्य बालिका शिक्षा पर निर्भर करता है । यह महिलाओं के सामाजिक भूमिका का भी दशा एवं दिशा निर्धारित करता है।

शिक्षण का उद्देश्य

1. पटना जिला के विभिन्न क्षेत्रें में शिक्षा के स्तर में पाए जाने वाले अंतर को जानना।
2. शहर के नजदीक स्थित गाँव तथा शहर से दूर स्थिति गाँव में महिला शिक्षा का स्तर तथा सशक्तीकरण को जानना ।

परिकल्पना

1. शहर के नजदीक अवस्थिति गाँव में महिलाओं के शैक्षणिक स्तर तथा सशक्तीकरण की स्थिति ज्यादा मजबूत हो सकती है ।

2. शहर के दूर-दराज इलाके में बसे गाँव की स्थिति तुलनात्मक रूप से कम हो सकती है ।

अध्ययन क्षेत्र का सीमांकन

मैंने पटना के दो गाँवों का चयन इस कार्य के लिए किया है। इसका अध्ययन क्षेत्र पटना जिला में पटना शहर के नजदीक का एक गाँव हथियांकन तथा खैरा गाँव को बनाया है। इन दोनों गाँवों में पंचायत की मुखिया महिला है। इन गाँवों में पचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत महिला का 50 प्रतिशत आरक्षण का लाभ उठाकर महिला मुख्या/सरपंच तथा अन्य पंचायती राज के पदों पर महिलाएँ कार्यरत हैं जिसके कारण इन गाँवों में स्त्री शिक्षा में विकास हुआ है।

आंकड़ों का स्त्रोत :

मैंने प्राथमिक आँकड़ों को आधार बनाया है। इन गाँवों के मुखिया, गाँवों के स्कूलों के प्राचार्य तथा दोनों गाँवों के 50-50 अभिभावकों से प्रश्नोत्तरी के सहारे आँकड़ों को संग्रह करने के लिए प्राथमिक एवं द्वितीय डाटा का प्रयोग किया गया, इसके लिए गाँव के तीनों आर्थिक रूप से उच्च, माध्यम तथा निम्न वर्ग के स्तरों को चुना है ।

मैंने इन आँकड़ों को साधाारण सांख्यिकी विधि की सहायता से डाटा को निरूपण किया है ।

लड़कियों के शिक्षा के प्रतिशत में आता बदलाव

गाँव	2001	2003	2005	2006	2008	2010	2021
हथियाकन	40%	40%	42%	50%	60%	60%	63%
खैरा	35%	35%	40%	45%	50%	60%	62%

Finding and Suggestion : इन आँकड़ों से यह ज्ञात होता है कि बिहार सरकार के विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों का स्त्री शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जिसके कारण पहले की अपेक्षा अधिक लोक अपनी पुत्रियों को शिक्षा योजना, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना आदि का भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अब तक उन लोगों को यह लगता था कि अगर वे अपनी पुत्रियों को विद्यालय में नामांकन करवाते हैं, तो वे भी उपरोक्त सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं तथा उन सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए अपने लड़कियों का दाखिला करवाया था। ये शिक्षित लड़कियाँ घर के साधारण लिखने पढ़ने का काम कर सकती थी,जैसे कृषि कार्यों तथा उन उत्पादों पर खर्च, लागत तथा मुनाफा आदि का हिसाब किताब रख सकती थी। परंतु गाँव की इन

शिक्षित लड़कियों को पढ़ाई से संबंधित अन्य कार्य के लिए जैसे अर्थ कमाने, समाज में कोई योगदान के लिए उपयोग करने का रास्ता उन्हें नहीं मिल रहा था अर्थात् पढ़ाई का सामाजिक उत्थान में क्या भूमिका हो सकती है। इस बात से अनभिज्ञ थे। गाँव के विकास में उनकी भी सकारात्मक भूमिका हो सकती है। इस बात से वे अनजान थे।

बिहार सरकार ने पंचायतों में 50 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किया जो सामाजिक चेतना में एक पुर्नउत्थान का युग आया। जब गाँव की महिलाओं को समाज के मुख्य धारा में आकर कार्य करने का मौका मिला तो इसका सकारात्मक प्रभाव आज बिहार के सभी गाँवों में दिख रहा है। इस कदम के फलस्वरूप आजतक महिलाएँ जो पुरुषों पर निर्भर थी, अब स्वतंत्र होकर अपने निर्णय ले रही हैं और गाँव के उत्थान में अपनी एक सकारात्मक प्रभाव डाल रही है। इस आरक्षण के फलस्वरूप कुछ पुरुष जिन्हें पंचायत चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित नहीं लग रही थी वो अपनी पत्नियों को आरक्षण के सुविधा का लाभ उठाकर मुखिया प्रखण्ड प्रमुख अध्यक्ष पद पर बिठाकर उनकी आड़ में काम करने की सोच रहे थे। इन सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का स्त्री शिक्षा पर सकारात्मक असर पड़ा। सभी कार्यों में उन्हें निर्णय लेने के लिए पुरुष वर्ग पर निर्भर रहना पड़ रहा था क्योंकि अब तक उन स्त्रियों में अधिकांश अनपढ़ तथा कुछ साक्षर मात्र थी। परंतु, शिक्षा किस प्रकार उनके आगे बढ़ने के रास्तें में सहायक हो सकती है, इसकी समझ अब उन्हें होने लगी थी । अब इन गाँवों के स्त्रियों ने जो साक्षर होने के बावजूद अपने कार्यों को करने में स्वयं को पूर्ण सक्षम नहीं महसूस कर रही थी। उन्हें अब शिक्षा का महत्व पता चला गया था। अब उन गाँवों में स्त्रियाँ को नये रूप में देखने लगी तथा स्त्री शिक्षा में सच कहे तो एक उबाल आ गया ।

गाँवों में अब लड़कियों को शिक्षा सिर्फ सरकार सुविधाओं का लाभ देने के लिए नहीं दिया जा रहा है। अपनी मुख्या, प्रखण्ड प्रमुख तथा अध्यक्ष की तरह मुख्य धारा से जुड़ने तथा अपने कार्यों में स्वयं निर्णय लेने कि क्षमता पर भरोसा होने लगा है। अब शिक्षा उनके सपनों को साकार करने का एक सशक्त माध्यम बन गया है।

निष्कर्ष:

पंचायतों में मुखिया की सहायिका का कार्य भी गाँव की पढ़ी-लिखी महिला कर रही है तथा उन कार्यों को करना अपना सौभाग्य मान रही है, जबकि कुछ सालों पहले तक पढ़ना लिखना स्वयं के व्यक्तित्व निर्माण में लगा कार्य था। जिसका सतह पर कोई विशेष प्रभाव नहीं देखने को मिल रहा था। विद्यालय में जो लड़कियाँ पहले सिर्फ खाना, पोशाक, साईकिल तथा छात्रवृत्ति के लिए नामांकन ले रही थी आज वह अपनी पढ़ाई में रूची ले रही है तथा उनमें अब कुछ अपने लिए और कुछ समाज के लिए कर गुजरने की तमन्ना जाग चुकी है, जो सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का मुख्य उद्देश्य था ।

सुझाव: इन गाँवों के विद्यालयों में प्रायोगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा की स्थिति नाजुक हालात में है। वर्तमान शिक्षा तो प्रदान करती है लेकिन बेरोजगारी की फौज बनाती है। अत: इस संदर्भ में सुझाव है कि विद्यालयों में प्राथमिक स्तर से ही व्यावसायिक और प्रायोगिक शिक्षा को सशक्त ढंग से लागू किया जाए जिससे कि शिक्षा का समाज और व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक और मानसिक प्रगति हो सके । समाज में शिक्षा का आत्याधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ सके जिसके फलस्वरूप एवं स्वस्थ, समृद्ध राष्ट्र का निर्माण हो सके ।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. Chandra, R.C. (1986) : "A Geography of Population : Concept, Determinants and Pattern:. Kalyani Publications, New Delhi.
2. Agrawal, S. N. (1968) : Population Geography, New Delhi
3. Bose, A.Ed. (1967) : "Pattern of Population Change of India", 1951-1961, Bombay, Allied Publication.
4. Samad, M. Abdul : "Women Empowerment and Panchayati Raj Institutations in Kerela, Vol. 55, March 2007, PP 37-42.
5. Kullar, K. K. : "Mahila Samekhya : Empowerment of Women Throught Education, Vol. 55, March 2007, PP 9-11.
6. राजनीतिक सशक्तिकरण व महिला-दैनिक जागरण, 1 दिसंबर, 2009